रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1971/कार्तिक 8, 1893

No. 195] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1971/KARTIKA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October 1971

G.S.R. 1650.—Whereas the draft Insecticides Rules, 1971, whoch the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), were published as required by the said section at pages 1510 to 1528 of the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i), dated the 17th April, 1971, under the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 566, dated the 7th April, 1971. inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 31st of May, 1971;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 17th April, 1971;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government, after consultation with the Central Insecticides Board, hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

Preliminary

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Insecticides Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 1st of August, 1971.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968);

(b) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(c) "Director" means the Director of the Laboratory:

(d) "Form" means a form set out in the First Schedule;

(e) "Laboratory" means the Central Insecticides Laboratory;

(f) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;

(g) "Secretary" means the Secretary of the Board;

(h) "Section" means a section of the Act.

CHAPTER II

Functions of the Board, Registration Committee and Laboratory

3. **Functions of the Board.**—The Board shall, in addition to the functions assigned to it by the Act, carry out the following function, namely:—

(a) advise the Central Government on the manufacture of insecticides under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951;

(b) specify the uses of classification of insecticides on the basis of their toxicity as well as their being suitable for aerial application;

(c) advise tolerance limits for insecticides residues and on establishment of minimum intervals between the application of insecticides and harvest in respect of various commodities;

(d) specify the shelf-life of insecticides;

(e) suggest colourisation, including colouring matter which may be mixed with concentartes of insecticides, particularly those of highly toxic nature;

(f) carry out such other functions as are supplemental, incidental or consequential to any of the functions conferred by the Act or these rules.

4. **Functions of Registration Committee.**—The Registration Committee shall, in addition to the functions assigned to it by the Act, perform the following functions, namely:—

(a) specify the precautions to be taken against poisoning through the use or handling of insecticides;

(b) carry out such other incidental or consequential matters necessary for carrying out the functions assigned to it under the Act or these rules.

5. **Functions of Laboratory.**—The functions of the Laboratory shall be as follows:—

(a) to analyse such samples of insecticides sent to it under the Act by any officer or authority authorised by the Central or State Governments and submission of certificates of analysis to the concerned authority;

(b) to analyse samples of materials for insecticide residues under the provisions of the Act;

(c) to carry out such investigations as may be necessary for the purpose of ensuring the conditions of Registration of insecticides;

(d) to determine the efficacy and toxicity of insecticides;

(e) to carry out such other functions as may be entrusted to it by the Central Government or by a State Government with the permisseion of the Central Government and after consultation with the Board.

CHAPTER III

Registration of Insecticides

6. **Manner of Registration.**—(1) An application for the registration of an insecticides under the Act shall be made in Form 1.

(2) An application form duly filled together with a treasury challan evidencing the payment of registration fees of rupees one hundred shall be sent to the Registration Committee, Insecticides Act, Department of Agriculture, Government of India, New Delhi.

(3) The registration fees payable shall be deposited under the head "XX—'Miscellaneous'—Fees, Fines, etc. realised under Insecticides Act, 1968".

(4) The certificate of registration shall be in Form II and shall be subject to such conditions as are mentioned therein:

7. **Appeal.**—(1) An appeal against any decision of the Registration Committee under section 9 shall be preferred in writing to the Central Government in the Department of Agriculture.

(2) The appeal shall be in writing and shall set out concisely and under distinct heads the grounds on which the appeal is preferred.

(3) Every appeal shall be accompanied by a treasury challan evidencing the payment of a fee of rupees ten and a copy of the decision appealed against.

(4) The fees payable for preferring an appeal shall be deposited under the head "XXI—'Miscellaneous'—Fees, Fines, etc. realised under Insecticides Act, 1968".

8. **Manner of publication of refusal to register or cancellation of the certificate of registration.**—A refusal to register an insecticides or a cancellation of the certificate of registration of an insecticides shall also be published in any two English and Hindi newspapers which have circulation in a substantial part of India and in any of the journals published by the Department of Agriculture of the Government of India.

CHAPTER IV

Grant of Licences

9. **Licences to manufacture insecticides.**—(1) Applications for the grant of renewal of a licence to manufacture any insecticide shall be made in Form III or Form IV, as the case may be, to the licensing officer and shall be accompanied by a fee of rupees fifty for every insecticide for which the licence is applied, subject to a maximum of rupees five hundred.

(2) If an insecticides is proposed to be manufactured at more than one place, separate applications shall be made and separate licences shall be issued in respect of every such place.

(3) A licence to manufacture insecticides shall be in Form V and shall be subject to the conditions mentioned therein.

(4) A licensing officer may, after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant, refuse to grant any licence, and on such refusal, the fee paid shall be refunded to the applicant.

(5) A fee of rupee five shall be paid for a duplicate copy of a licence issued under this rule, if the original is defaced, damaged or lost.

10. **Licences for sale, etc. of insecticides.**—(1) Applications for the grant or renewal of a licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall be made in Form VI or Form VII, as the case may be, to the licensing officer and shall be accompanied by the fees specified in sub-rule (2).

(2) The fees payable under sub-rule (1) for the grant of or renewal of a licence shall be rupees twenty for every insecticides for which the licence is applied, subject to a maximum of rupees three hundred.

(3) If any insecticides is proposed to be sold or stocked for sale at more than one place, separate applications shall be made and separate licences shall be issued in respect of every such place.

(4) A licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall be in Form VIII and shall be subject to the conditions specified therein.

(5) A licensing officer may, after giving an opportunity of being heard to the applicant, refuse to grant any licence and on such refusal, the fees paid shall be refunded to the applicant.

(6) A fee of rupees five shall be payable for a duplicate copy of a licence issued under this rule if the original is defaced, damaged or lost.

11. **Duration of Licences.**—(a) Any licence issued under this Chapter shall, unless sooner suspended or cancelled, be in force for a period of two years from the date of issue or from the date of renewal.

(b) An application for the renewal of a licence shall be made before its expiry and if such application is made within one month of such expiry, a penalty of,:—

(i) rupees fifty in the case of a licence to manufacture insecticides;
and (ii) rupees twenty in the case of any other licence, shall be paid along with the application for renewal.

(c) The licence shall continue to be in force until it is renewed or revoked or where an appeal is preferred under section 15, until the disposal of the appeal, and shall be deemed to have expired if the application for renewal is not made within a month after its expiry.

(d) A licensing officer may, after giving an opportunity of being heard, refuse to renew the licence and on such refusal the fee paid for such renewal and the penalty, if any, paid shall be refunded to the applicant.

12. **Conditions of licence.**—(a) Subject to such conditions as are contained in the licence, a licence shall not be granted to any person under this Chapter unless the licensing officer is satisfied that the premises in respect of which licence is to be granted are adequate and equipped with proper storage accommodation for avoiding any hazards and for preserving the properties of insecticides in respect of which the licence is granted.

(b) In granting a licence, the licensing officer shall have regard, among other things to:—

(i) the number of licences granted in the locality during any year; and

(ii) the occupation, trade or business carried on by the applicant.

13. **Varying or amending a licence.**—The licensing officer may either on an application made by the licensee or if he is satisfied that the conditions under which a licence has been granted under this Chapter have been changed that it is necessary so to do, vary or amend a licence, after giving an opportunity of being heard to the person holding the licence.

14. **Transfer of licence.**—(1) The holder of a licence may, at any time, before the expiry of the licence, apply for permission to transfer the licence to any other person.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by a fee of rupees five.

(3) The licensing officer may, after such inquiry as he thinks fit accord permission to transfer the licence and on such permission being given an endorsement to that effect shall be made in the licence.

(4) If the permission to transfer a licence is refused, the fee paid therefor shall be refunded to the applicant.

15. **Procedure on death or disability of licensee.**—If any person in whose name a licence has been issued under this Chapter dies or is incapable of carrying on the business for which the said licence is given, his legal representative or any other person interested in carrying on the business may apply to the licensing officer for the transfer of the licence in his name.

(2) If an application is made under sub-rule (1) for the transfer of a licence it shall be lawful for the applicant to carry on the business of the licensee until it is refused by the licensing officer.

CHAPTER V

Packing and labelling

16. **Prohibition of sale or distribution unless packed and labelled.**—No person shall stock or exhibit for sale or distribute any insecticide unless it is packed and labelled in accordance with the provisions of these rules.

17. **Packing of insecticides.**—Every package containing an insecticide shall be of a type approved by the Registration Committee and a sample container in which the insecticide is proposed to be packed shall either accompany the application for registration or shall be supplied to the Registration Committee separately.

18. **Leaflet to be contained in a package.**—The packing of every insecticide shall include a leaflet containing the following details, namely:—

(a) the plant disease, insects and noxious animals or weeds for which the insecticide is to be applied, the adequate direction concerning the manner in which the insecticide is to be used at the time of application;

(b) particulars regarding chemicals harmful to human being, animals and wild life, warning and cautionary statements including the symptoms of poisoning suitable and adequate safety measures and emergency first-aid treatment where necessary;

(c) cautions regarding storage and application of insecticides with suitable warnings relating to inflammable, explosive or other substances harmful to the skin;

(d) instructions concerning the decontamination or safe disposal of used containers;

(e) a statement showing the antidote for the poison shall be included in the leaflet and the label;

(f) if the insecticide is irritating to the skin, nose, throat or eyes, a statement shall be included to that effect.

19. **Manner of labelling.**—(1) The following particulars shall be either printed or written in *indelible* ink on the label of the inner most container of any insecticide and on the outer most covering in which the container is packed:

(i) Name of the manufacturer (if the manufacturer is not the person in whose name the insecticide is registered under the Act, the relationship between the person in whose name the insecticide has been registered and the person who manufactures, packs or distributes or sells shall be stated).

(ii) Name of the insecticide. (Brand name or trade mark under which the insecticide is sold).

(iii) Registration number of the insecticide.

(iv) Kind and name of active and other ingredients and percentage of each. (Common name accepted by the International Standards Organisation or the Indian Standards Institution of each of the ingredients shall be given and if no common name exists, the correct chemical name which conforms most closely with the generally accepted rules of chemical nomenclature shall be given).

(v) Net content of volume. (The net content shall be exclusive of wrapper or other material. The correct statement of the net content to terms of weight, measure, number of units of activity, as the case may be, shall be given. The weight and volume shall be expressed in the metric system).

(vi) Batch number.

(vii) Expiry date *i.e.*, upto the date the insecticide shall retain its efficiency and safety.

(viii) Antidote statement.

(2) The label shall be so affixed to the container that it can not be ordinarily removed.

(3) The label shall contain in a prominent place and occupying not less than one-sixteenth of the total area of the face of the label, a square, set at an angle of 45° (diamond shape). The dimension of the said square shall depend on the size of the package on which the label is to be affixed. The said square shall be divided into two equal triangles, the upper portion shall contain the symbol and signal word specified in sub-rule (4) and the lower portion shall contain the colour specified in sub-rule (5).

(4) The upper portion of the square, referred to in sub-rule (3) shall contain the following symbols and warning statements:—

(i) insecticides belonging to Category I (Extremely toxic) shall contain the symbol of a skull and cross-bones and the word "POISON" printed in red;

The following warning statements shall also appear on the label at appropriate place, outside the triangle.

(a) "KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN";

(b) "IF SWALLOWED, OR IF SYMPTOMS OF POISONING OCCUR, CALL PHYSICIAN IMMEDIATELY";

(ii) insecticides in Category II (highly toxic) will contain the word "POISON" printed in red and the statement "KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN"; shall also appear on the label at appropriate place, outside the triangle;

(iii) insecticides in Category III (Moderately toxic) shall bear the word "DANGER" and the statement "KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN"; shall also appear on the label at suitable place outside the triangle;

(iv) insecticides in Category IV (Slightly toxic) shall bear the word "CAUTION".

(5) The lower portion of the square referred to in sub-rule (4) shall contain the colour specified in column (4) of the Table below, depending on the classification of the insecticides specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table.

TABLE

Classification of the insecticides	Medium lethal dose by the oral route (acute toxicity) LD 50 mg/kg. body weight of test animals.	Medium lethal dose by the dermal route (dermal toxicity) LD 50 mg/kg. body weight of test animals.	Colour of identification band on the label.
1	2	3	4
1. Extremely toxic.	1—50	1—200	Bright red
2. Highly toxic	51—500	201—2000	Bright yellow
3. Moderately toxic	501—5000	2001—20000	Bright blue
4. Slightly toxic	More than 5000	More than 20000	Bright green

(6) In addition to the precautions to be undertaken under sub-rule (3), (4) and (5), the label to be affixed in the package containing insecticides which are highly inflammable shall indicate that it is inflammable or that the insecticides should be kept away from heat or open flame and the like.

(7) The label and leaflets to be affixed or attached to the packages containing insecticides shall be printed in Hindi, English and in one or two regional languages in use in the areas where the said packages are likely to be stocked, sold or distributed.

(8) Labelling of insecticides must not bear any unwarranted claims for the safety of the product or its ingredients. This includes statements such as 'SAFE', 'NON POISONOUS', 'NON INJURIOUS' or 'HARMLESS' with or without such qualified phrase as "when used as directed".

20. **Prohibition against altering inscriptions etc. on containers, labels or wrappers of insecticides.**—No person shall alter, obliterate or deface any inscription or mark made or recorded by the manufacturer on the container, label or wrapper of any insecticide:—

Provided that nothing in this rule shall apply to any alteration of any inscription or mark made on the container, label or wrapper of any insecticide at the instance, direction or permission of the Registration Committee.

CHAPTER VI

Insecticide Analysts and Insecticide Inspectors

21. **Qualifications of Insecticide Analyst.**—A person shall be eligible for appointment as an Insecticide Analyst under the Act only if he possesses the following qualifications, namely:—

(a) a graduate in Agriculture or a graduate in Science with Chemistry as a special subject; and

(b) adequate training in analysing insecticides in a recognised Laboratory.

22. **Powers of Insecticide Analyst.**—The Insecticide Analyst shall have the power to call for such information or particulars or do anything as may be necessary for the proper examination of the samples sent to him either from the Insecticide Inspector or the person from whom the sample was obtained.

23. **Duties of Insecticide Analyst.**—(1) The Insecticide Analyst shall analyse or cause to be analysed or test or cause to be tested such samples of Insecticides as may be sent to him by the Insecticide Inspector under the provisions of the Act and shall furnish reports or results of such tests or analysis.

(2) An Insecticide Analyst shall, from time to time, forward to the State Government reports giving the result of analytical work and investigation with a view to their publication at the discretion of the Government.

24. **Procedure on receipt of sample.**—(1) On receipt of a package from an Insecticide Inspector containing a sample for test or analysis, the Insecticide Analyst shall compare the seals on the packet with the specimen impression received separately and shall note the condition of the seals on the packet.

(2) In making the test or analysis of insecticides, it shall be sufficient if the Insecticide Analyst follows the methods of examination of samples adopted or approved by the Indian Standards Institution. The samples should be analysed in such a way as to determine the insecticidal property and whether the ingredients as stated on the label are present and whether the products contain any adulterants. If necessary, laboratory or field tests shall be made to determine the effectiveness of the insecticides as contained in the label.

(3) After the test or analysis has been carried out under sub-rule (2), the Insecticide Analyst shall forthwith supply to the Insecticide Inspector a report in triplicate in Form IX of the result or test or analysis.

25. **Fees payable for testing or analysis.**—(1) The fees payable for testing or analysing insecticides under the Act shall be as specified in the Second Schedule.

(2) No fee shall be charged for routine tests or rechecking of samples carried out at the instance of the Insecticide Inspector.

26. **Qualifications of Insecticide Inspector.**—A person shall be eligible for appointment as an Insecticide Inspector under the Act only if he possesses the following qualifications, namely:—

(a) graduate in Agriculture, or graduate in Science with Chemistry as one of the subjects;

(b) adequate field experience.

27. **Duties of Insecticide Inspector.**—The Insecticide Inspector shall have the following duties, namely:—

(1) to inspect not less than three times in a year all establishments selling insecticides within the area of his jurisdiction;

(2) to satisfy himself that the conditions of licence are being complied with;

(3) to procure and send for test and analysis, samples of insecticide which he has reason to suspect are being sold, stocked or accepted for sale in contravention of the provisions of the Act or rules made thereunder;

(4) to investigate any complaint in writing which may be made to him;

(5) to institute prosecutions in respect of breaches of the Act and the rules made thereunder;

(6) to maintain a record of all inspections made and action taken by him in the performance of his duties including the taking of samples and the seizure of stocks and to submit copies of such record to the licensing officer;

(7) to make such inquiries and inspections as may be necessary to detect the sale and use of insecticides in contravention of the Act.

28. **Duties of Inspectors specially authorised to inspect manufacture of insecticides.**—It shall be the duty of an Inspector authorised to inspect the manufacture of insecticides—

(1) to inspect not less than twice a year all premises licensed for the manufacture of insecticides within the area of his jurisdiction and to satisfy himself that the conditions of the licence and the provisions of the Act or the rule made thereunder are being observed;

(2) to send forthwith to the licensing officer after each inspection, a detailed report indicating the conditions of the licence and the provisions of the Act or rules made thereunder which are being observed and the conditions and provisions, if any, which are not being observed;

(3) to draw samples of insecticides manufactured on the premises and send them for test or analysis in accordance with these rules;

(4) to report to the Government all occurrences of poisoning.

29. **Prohibition of disclosure of information.**—Except for the purpose of official business or when required by a court of law, an Insecticide Inspector shall not disclose to any person any information acquired by him in the performance of his official duties.

30. **Form of order not to dispose of stock.**—An order by the Insecticide Inspector requiring a person not to dispose of any stock in his possession shall be in Form X.

31. **Prohibition of sale.**—No person in possession of an insecticide in respect of which an Insecticide Inspector has made an order under rule 30 shall, in contravention of that order, sell or otherwise dispose of any stock of such insecticide.

32. **Form of receipt for seized insecticides.**—A receipt by an Insecticide Inspector for the stock of any insecticide seized shall be in Form XI.

33. **Form of intimation for purpose of taking samples.**—Where an Inspector takes a sample of an insecticide for the purpose of test or analysis he shall intimate such purpose in writing in Form XII to the person from whom he takes it.

34. **Despatch of samples for test or analysis.**—(1) Samples for test or analysis under the Act shall be sent by registered post or by hand in a sealed packet together with a memorandum in Form XIII in an outer cover addressed to the Insecticide Analyst.

(2) The packet as well as the outer cover shall be marked with a distinct mark.

(3) A copy of the memorandum in Form XIII together with a specimen impression of the seals of the Inspector and of the seals, if any, of the person from whom he takes such samples, shall be sent separately by registered post or by hand to the Insecticide Analyst.

CHAPTER VII

Transport and storage of insecticides in transit by rail, road or water.

35. **Manner of packing storage while in transit by rail.**—(1) Packages containing insecticides, offered for transport by rail, shall be packed in accordance with the conditions specified in the Red Tariff, issued by the Ministry of Railways.

(2) No insecticide shall be transported or stored in such a way as to come into direct contact with foodstuffs or animal feeds.

(3) No foodstuffs or animal feeds which got mixed up with insecticides as a result of any damage to the packages containing insecticides during transport or storage shall be released to the consignees unless it has been examined for possible contamination by competent authorities, as may be notified by the State Government.

(4) If any insecticide is found to have leaked out in transport or storage, it shall be the responsibility of the transport agency or the storage owner to take such measures urgently to prevent poisoning and pollution of soil or water, if any.

36. **Conditions to be specified for storage of insecticides.**—(1) The packages containing insecticides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticides.

(2) The rooms or premises meant for storing insecticides shall be well-built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension.

CHAPTER VIII

Provisions regarding protective clothing, equipment and other facilities for workers during manufacture, etc. of insecticides.

37. **Medical Examination.**—(1) The persons who will be engaged in the work of handling insecticides during its manufacture, formulation, transport, distribution or application, shall be examined medically before their employment and periodically while in service by a competent physician who is aware of the risks to which such workers will be exposed.

(2) Any person showing symptoms of poisoning shall be immediately examined and given proper treatment.

38. **First-aid measures.**—In all cases of poisoning first-aid treatment shall always be given before the physician is called. The Indian Standards Guide for handling cases of pesticide poisoning—Part I, First Aid Measures [I.S. 4015 (Part I)—1967] and Part II Symptoms, diagnosis and treatment [I.S. 4015 (Part II)—1967] shall be consulted for such first-aid treatment in addition to any other books on the subject. The workers also should be educated regarding the effects of poisoning and the first-aid treatment to be given.

39. **Protective clothing.**—(1) Persons handling insecticides during its manufacture, formulation, transport, distribution or application shall be adequately protected with appropriate clothing.

(2) The protective clothing shall be used wherever necessary, in conjunction with respiratory devices as laid down in rule 40.

(3) The protective clothing shall be made of materials which prevent or resist the penetration or any form of insecticide formulations. The materials shall also be washable so that the toxic elements may be removed after each use.

(4) A complete suit of protective clothing shall consist of the following dresses, namely:—

(a) protective outer garment/overalls/hood/hat;

(b) rubber gloves or such other protective gloves extending half-way upto the fore-arm, made of materials impermeable to liquids;

(c) dust-proof goggles;

(d) boots.

40. **Respiratory devices.**—For preventing inhalation of toxic dusts, vapours or gases, the workers shall use any of the following types of respirators or gas-masks suitable for the purpose, namely:—

(a) Chemical-Cartridge respirator;

(b) Supplied-Air respirator;

(c) Demand flow type respirator;

(d) Full-face or half-face gas masks with canister.

In no case shall the concentrates of insecticides in the air where the insecticides are mixed exceed the maximum permissible values.

41. **Manufacturers, etc. to keep sufficient quantities of antidotes and first-aid medicines.**—The manufacturers and distributors of insecticides and persons who undertake to spray insecticide on a commercial basis (hereafter in these rules referred to as operators) shall keep sufficient stocks of such first-aid tools, equipment, antidotes, injections and medicines as may be required to treat poisioning cases arising from inhalation, skin contamination, eye contamination and swallowing.

42. **Training of workers.**—The manufacturers and distributors of insecticides and operators shall arrange for suitable training in observing safety precautions and handling safety equipment provided to them.

43. **Aerial spraying operations.**—The aerial application of insecticides shall be subject to the following provisions, namely:—

(a) marking of the area shall be the responsibility of the operators;

(b) the operators shall use only approval insecticides and their formulations at approved concentration and height;

(c) washing, decontamination and first-aid facilities shall be provided by the operators;

(d) all aerial operations shall be notified to the public not less than twenty-four hours in advance through competent authorities;

(e) animals and persons not connected with the operations shall be prevented from entering such areas for a specified period; and

(f) the pilots shall undergo specialised training including clinical effects of the insecticides.

44. **Disposal of used packages, surplus materials and washings of insecticides.**—(1) It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides and operators to dispose packages or surplus material and washings in a safe manner so as to prevent anvironmental or water pollution.

(2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

(3) The packages shall be broken and buried away from habitation.

CHAPTER IX

Miscellaneous

45. **Places at which the insecticides may be imported.**—No insecticides shall be imported into India except through one of the following places, namely:—

Ferozepore Cantonment and Amritsar railway stations in respect of insecticides imported by rail across the frontier with West Pakistan.

Ranaghat, Bongaon and Mahiassan railway stations in respect of insecticides imported by rail across the frontier with East Pakistan.

Madras, Calcutta, Bombay and Cochin—in respect of insecticides imported by sea into India.

Madras, Calcutta, Bombay, Delhi and Ahmedabad—in respect of insecticides imported by air into India.

46. **Travelling and other allowances payable to the members of the Board etc.**— The members of the Board, Registration Committee and any other committee apponted by the Board shall be entitled to such travelling and other allowances for attending meetings of the Board, Registration Committee or other committe, as the case may be, as are for the time being admissible to Grade I officers of the Central Government.

THE FIRST SCHEDULE

FORM I

[*See* rule 6(i)]

Application for registration of Insecticides

1. Name and address of the applicant.

2. The trade number of the insecticide which the applicant is importing or manufacturing or proposes to import or manufacture.

3. Chemical composition [A statement of the composition, including all ingredients and the chemical identity of the active ingredient(s) including their stability in storage].

4. Toxicity of the products to human beings, wild life, aquatic animals (adequate toxicological date concerning the active ingredient to be enclosed).

5. The plant diseases, insects and other noxious animals and weeds against which it is intended to be used. (Reports of official or other experienmental station on biological tests concerning the efficiency of the insecticide to be enclosed).

6. Instructions for storage and use including first aid and precautionary matter which are proposed for labelling.

7. Methods of unalysis for formulated compound and its residues.

8. Seven copies of the proposed/existing label (including all printed or graphic matter which will accompany the package containing the insecticide).

9. Manner of packaging.

Signature of the applicant
Designation and seal.

Date.....

.....
.....

Verification

*I.....do hereby solomnly and sincerely state that what is stated in paragraphs 1 to 9 above is true to the best of my knowledge and belief.

Signature of applicant.

FORM II

[*See* rule 6(4)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Deptt. of Agriculture)

Certificate of Registration of Insecticides

Certified that the insecticide.....has been registered in the name of the person undertaking whose particulars are specified blow:—

1. Names of the person/undertaking.
2. Address.
3. Registration No.
4. Name of the insecticide,
 (Brand name or trade name or chemical name of the insecticide, details thereof regarding its composition, etc.)
5. Conditions, if any.

New Delhi, the.....19 Signature.....

Seal of the Department

Conditions

FORM III

[*See* rule 9(1)]

Application for the grant of licence to manufacture insecticides.

1. I/We.....of.....hereby apply for the grant of a licence to manufacture on the premises situated at..... the undementioned insecticides.

Name of insecticides (each insecticide to be separately specified).

2. The names, qualifications and experience of the expert staff actually connected with the manufacture and testing of the specified products in the manufacturing premises.....

3. I/We enclose—

(a) A true copy of a letter from me/us to the manufacturing concern whose manufacturing capacity is intended to be utilised by me/us.

(b) A true copy of a letter from the manufacturing concern that they agree to lend the services of their expert staff, equipment and premises for the manufacture of each insecticide required by me/us and that they will analyse every batch of finished product and maintain the registers of the materials, finished products and reports of analysis separately in this behalf.

(c) Specimens of labels, cortons of the products proposed to be manufactured.

4. A fee of rupees.....has been credited to the Government under the head of account.....

Signature.....

Date.....

FORM IV

[*See* rule 9(1)]

Application for renewal of licence to manufacture insecticides.

1. I/We.....of.....hereby apply for the renewal of the licence to manufacture insecticides on the premises situated at..... (Licence No. and date to be given).

2. The other details * regarding the manufacture of the insecticide continue to remain the same.

3. A fee of rupees.....has been credited to the Government under the head of account.....for the renewal of the licence.

4. The licence is enclosed herewith.

Date..... Signature.....

*If there is any change in the details of manufacture of conditions of licence subject to which the licence is required to be renewed, the same may be indicated here.

FORM V

[*See* rule 9(2)]

Licence to manufacture insecticides.

1. Number of licence and date of issue.....

2.of.....is hereby granted a licence to manufacture the following insectisides on the premises situated at.....under the direction and supervision of the following expert staff.

(a) Expert staff (names).....

(b) Names of insecticides.....

3. The licence authorises the sale by way of wholesale dealing by the licensee and storage for sale by the licensee of the insecticides manufactured under the licence.

4. The licence shall be in force for a period of..... years from the date of issue.

5. The licence is subject to the conditions stated below and to such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Insecticide Act, 1968.

Date..... Signature.....

Designation.....

Seal of the Licensing Officer.

Conditions

1. This licence and any certificate of renewal shall be kept on the approved premises and shall be produced for inspection at the request of an Insecticide Inspector appointed under the Insecticides Act, 1968 or any other officer or authority authorised by the licensing officer.

2. Any change in the expert staff named in the licence shall forthwith be reported to the licensing officer.

3. If the licensee wants to undertake during the currency of the licence to manufacture for sale additional insecticides, he should apply to the licensing officer for the necessary endorsement in the licence on payment of fee of rupees..... for every category of insecticides.

4. Renewal.

FORM VI

[*See* rule 10(1)]

Application for the Grant of Licence to Sell, Stock or Exhibit for sale or Distribute Insecticides

To

The Licensing Authority,

State of.....

1. Full name and address of the applicant.

2. Is the applicant a new comer? (Say 'Yes' or 'No').

3. If yes, the names of the principals, if any, whom he represents.

4. If the applicant has been

(i) in the trade, give full particulars of the names of insecticides handled, the period and the place(s) at which the trade was carried on, (and the principals whom he represented).

(ii) Also give the quantities handled during the past two calendar years.

(a)

(b)

5. I enclose a certificate from the principals whom I represent or whom I intend to represent and the source/sources from which insecticides will be obtained.

6. Quantities of each insecticide (in tonnes) in my/our possession on the date of) application (at the sale depot and in godowns attached thereto.)

7. Situation of the dealers' premises where the insecticide will be (a) stored; and (b) sold.

8. The names of insecticides in which the applicant desires to carry on business.

9. Full particulars of licences issued in his name by other State Governments, if any, in their area.

10. I have deposited the licence fee.

Treasury Challan No.....

Sub-Treasury

11. Declaration:

(a) I/We declare that the information given above is true to my/our knowledge and belief, and no part thereof is false.

(b) I/We carefully have read the terms and conditions of the licence and agree to *abide* by them.

Name and address of the applicant(s) in block letters.

Signature of the applicant

Date:

Place:

Remarks by the Licensing Authority.

FORM VII

[*See* rule 10(1)]

Application for Renewal of the Licence to Sell, Stock or Exhibit for Sale or Distribute Insecticides.

To

The Licensing Authority,
State of.....

I/We hereby apply for renewal of the licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides under the name and style of..... The licence desired to be renewed was granted by the licensing Authority for the State of and allotted licence No.on the.....day of.....19 .

2. The situation of the applicant's premises where the insecticides are/will be (a) stored and (b) sold: (i) I/we hereby declare that the situation of my/our premises where the insecticides are stored, and (b) sold, are stated below:—

(a)	(b)
Premises where insecticides are stored	Premises where insecticides are sold

(ii) the insecticides in which I/we/am/are carrying on business and the name of the princpals whom I/we represent are as stated below:

Full name and address of the applicant in block letter.

Signature of the applicant(s).

Date:.....

Place:.....

FORM VIII

[*See* rule 10(4)]

Licence to Sell, Stock or Exhibit for Sale or Distribution of Insecticides.

I,,.....is hereby licensed to sell, stock or exhibit for sale or distribute by retail, insecticide.....on the permises situated atsubject to the conditions specified below and to the provisions of the Insecticides Act, 1969, and the rules thereunder:—

2. Licence shall be in force from.....to.....

3. Categories of insecticides.

Licence No.....

Licensing Authority.
Seal.

Date.....

Conditions

1. The licence shall be displayed in a prominent place in the part of the premises open to the public.

2. The licensee shall comply with the provisions of the Insecticides Act, 1968, and the rules made thereunder for the time being in force.

3. No sale of any insecticide shall be made to a person not holding a licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute the insecticide.

IndiCode

Provided that this conditions shall not apply to the sale of any insecticide to an officer or authority purchasing on behalf of the Government.

Renewal.

'Triplicate'

FORM IX

[*See* rule 24(3)]

Report of Insecticide Analyst

1. Name of the Insecticide Inspector from whom received.....
2. Serial No. and date of Insecticide Inspector's Memorandum.....
3. Number of sample.....
4. Date of Receipt.....
5. Name of the Insecticide purporting to be contained in the sample.....
6. Condition of the seals on the package.....
7. Result of test or analysis with protocols of test applied.....

Date..... Insecticide Analyst.

FORM X

[*See* rule 30]

Order Under Section 21(1)(d) *if the Insecticide Act, 1968, requiring a person not to dispose of any stock in his possession.*

Whereas I have reason to believe that the stock of..... in your possession, detailed below, is being distributed, sold or used in contravention of the provisions of section.....of the Insecticides Act, 1968 or.....of the Insecticides Rules, 1971.

I hereby require you under section 21(1)(d) of the said Act, to stop the distribution, sale or use of the said stock for a period of..... days from this date.

Date:.....

Details of stock of Insecticides/formulation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Insecticide Inspector
Seal.

Date.....

FORM XI

[*See* rule 32]

Form of Receipt for the Seized Insecticides.

Receipt for stock of insecticide seized under section 21(1)(d) of the Insecticides Act, 1968.

The stock of the insecticide detailed below has this day been seized by me under the provisions of section 21(1)(d) of the Insecticides Act, 1968, from the premises of..... Situated at.....

Details of the insecticide seized are:—

(a)
(b)
(c)
(d)

Insecticide Inspector.
Official Stamp.

Date.....

FORM XII

[*See* rule 33]

Intimation to Person/Licensee from whom Sample is taken

To

.....
.....
.....

I have this day taken from the premises of..... situated at.....samples of the Insecticide specified below for the purpose of test or analysis.

Date..... Insecticide Inspector.....

Details of sample taken.

Date..... Insecticide Inspector.....

FORM XIII

[*See* rule 34]

Memorandum to Government Analyst

From

.....
.....
.....

To

The Government Analyst,
.....

The portion of sample/container described below is sent herewith for test or analysis under the rule 34 of the Insecticides Rules, 1971.

The portion of sample/container has been marked by me with the following mark:—

Details of portion of sample or container with name of insecticide which it purports to contain.

Date..... Insecticide Inspector.....

Seal

THE SECOND SCHEDULE

(*See* rule 25)

Fees for testing or analysing the samples of insecticide

Sl. No.	Insecticides	ISI No. & Year	Testing Charges Rs. Ps.	
1	2	3	4	
1	D.D.T.	Tech. . .	IS 563-1961	115·00
2	B.H.C.	,, and refined .	IS 560-1969	100·00
3	Endrin	,, . .	IS 1309-1958	40·00

IndiaCode

1	2	3	4
4	Aldrin Tech. . .	IS 1306-1958	40·00
5	Dieldrin ,, . .	IS 1052-1962	50·00
6	Malathion ,, (without moisture)	IS 1832-1961	65·00
7	Parathiod ,, ,,	IS 2128-1962	65·00
8	Diazinon ,, ,,	IS 1833-1961	65·00
9	Gamma B.H.C. ,, (Lindane) . .	IS 882-1956	110·00
10	Chlordane ,, (content only) .	IS 2863-1964	20·00
11	Copper oxychloride ,, . .	IS 1486-1969	110·00
12	Cuprous oxide ,, (Fungicidal Gr.) .	IS 1682-1960	90·00
13	Zinc Phosphide ,, . .	IS 1251-1958	40·00
14	Ethyl Mercury Chloride ,, . .	IS 2354-1963	55·00
15	Phenyl ,, ,, ,, ,, . .	IS 2353-1963	45·00
16	Stabilised Methoxy Ethyl Mercury Chloride Concentrate	IS 2127-1962	45·00
17	Stabilised Methoxy Ethyl Mercury Chloride Concentrate.	S 2355-1963	45·00
18	Phenyl Mercury Salicylate Tech. . .	IS 2125-1962	45·00
19	,, ,, Acetate ,, .	IS 2126-1962	55·00
20	B.H.C. Dusting Powder . . .	IS 561-1962	90·00
21	D.D.T. ,, ,, . . .	IS 564-1961	40·00
22	Aldrin ,, ,, . . .	IS 1308-1958	70·00
23	Chlordane ,, ,, . . .	IS 2864-1964	50·00
24	Malathion ,, ,, . . .	IS 2568-1963	55·00
25	Parathiod ,, ,, . . .		55·00
26	Cuprous oxide ,, ,, . . .	IS 1669-1960	50·00
27	Copper oxychloride ,, ,, . . .	IS 1506-1967	50·00
28	Formulations based on Stabilized Methoxy Ethyl Mercury Chloride Concentrate	IS 2358-1963	35·00
29	Formulations based on Stabilized Ethoxy Ethyl Mercury Chloride Concentrate	IS 2359-1963	35·00
30	Phenyl Mercury Acetate Formulations	IS 2357-1963	35·00
31	Phenyl Mercury Salicylate Tech.	IS 2356-1963	35·00
32	Pyrethrum (Extract) in Formulations	IS 1051-1957	30·00
33	B.H.C. WDP Concentrate	IS 562-1962	100·00
34	D.D.T. ,, ,,	IS 565-1961	50·00
35	Dieldrin ,, ,,	IS 1053-1962	60·00
36	Copper oxychloride ,, ,,	IS 1507-1966	50·00
37	Cuprous oxide ,, ,,	IS 1665-1960	50·00
38	B.H.C. E.C.	IS 632-1966	125·00
39	D.D.T. ,,	IS 633-1956	85·00
40	Aldrin ,,	IS 1307-1958	85·00
41	Dieldrin ,,	IS 1054-1962	85·00
42	Endrin ,,	IS 1310-1958	85·00
43	Parathion ,,	IS 2129-1962	100·00
44	Malathion ,,	IS 2567-1963	100·00
45	Methyl Parathion ,,	IS 2865-1964	100·00
46	Diazinon ,,	IS 2861-1964	100·00
47	2, 4-D Liquid Amine Salt	IS 1827-1961	75·00
48	2, 4-D Sodium (Salt) Tech.	IS 1488-1969	65·00

IndiaCode

1	2		3	4
49	Sulphur Dust			25·00
50	Sulphur Wettable		IS 3383-1965	35·00
51	Thirum	Tech.	IS 4320-1967	30·00
52	Zineb	,,	IS 3898-1966	30·00
53	Thiometon	,,		30·00
54	Metasystox	,,		30·00
55	Dimethoate	,,	IS 3902-1966	30·00
56	Phosphamidon	,,	IS 4958-1968	30·00
57	Carybaryl	,,		30·00
58	Heptachlor	,,		20·00
59	Toxaphene	,,	IS 4451-1967	20·00
60	Nicotine Sulphate Solution		IS 1055-1957	35·00
61	Capta	Tech.		35·00
62	Heptachlor	,,		50·00
63	ED/CT Mixture 3:1 Volume by Volume	. . .	IS 634-1965	100·00

[No. F. 22-1/70-PPS (1)].
P. N. BALU, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1971

सा० का० नि० 1650 :—यतः प्रारूप कीटनाशी नियम, 1971, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 17 अप्रैल, 1971 के पृष्ठ 1510 से 1528 पर, भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 566, तारीख 7 अप्रैल, 1971 के अधीन, प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य था, 31 मई, 1971 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र 17 अप्रैल, 1971 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

IndiaCode

अतः अब, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का नाम कीटनाशी नियम, 1971 होगा।

(2) ये 1 अगस्त, 1971 से प्रदत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**:—इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "निदेशक" से प्रयोगशाला का निदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रयोगशाला" से केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(छ) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

अध्याय 2

बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण समिति और प्रयोगशाला से कृत्य

3. **बोर्ड के कृत्य** :—बोर्ड, अधिनियम द्वारा उसको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार को, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन कीटनाशियों के विनिर्माण की बाबत सलाह देना ;

(ख) कीटनाशियों के, उनके विषैलेपन और उनके आकाशी-अनुप्रयोग के लिए उपयुक्तता के आधार पर उनके उपयोगों या वर्गीकरण को विनिर्दिष्ट करना ;

(ग) कीटनाशियों/अवशेषों के लिए सहनसीमा और विभिन्न वस्तुओं की बाबत कीटनाशियों के अनुप्रयोग और फसल कटाई के बीच के न्यूनतम अन्तरालों को निश्चित करने के सम्बन्ध में सलाह देना ;

(घ) कीटनाशियों की निधानी—आयु विनिर्दिष्ट करना ;

(ङ) रंजित करने का सुझाव देना जिसमें वह रंजकद्रव्य भी सम्मिलित है जो कीटनाशियों के, विशेषतः अधिक विषैली प्रकृति के कीटनाशियों के सांद्रों के, साथ मिलाया जा सकता है ;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो अधिनियम या इन नियमों द्वारा प्रदत्त किसी कृत्य के अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक हैं।

4. रजिस्ट्रीकरण समिति के कृत्य.—रजिस्ट्रीकरण समिति अधिनियम द्वारा उसको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी ; अर्थात् :

(क) कीटनाशियों के प्रयोग या उठाने-रखने के कारण विषाक्तन के विरुद्ध ली जाने वाली पूर्वविधानियों को विनिर्दिष्ट करना ;

(ख) ऐसे अन्य आनुषंगिक या पारिणामिक विषयों का निष्पादन करना जो अधिनियम या इन नियमों के अधीन उसको समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं ।

5. प्रयोगशाला के कृत्य :—प्रयोगशाला के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) कीटनाशियों के ऐसे नमूनों का विश्लेषण करना जो उसको केन्द्रीय या राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन भेजे गए हों और संबंधित प्राधिकारी को विश्लेषण के प्रमाण-पत्र देना ;

(ख) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कीटनाशी अवशेषों के लिए सामग्री के नमूनों का विश्लेषण करना ;

(ग) ऐसे अन्वेषण कार्यान्वित करना जो कीटनाशियों के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं ;

(घ) कीटनाशियों के विषैलेपन को अवधारित करना ; और

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा या केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा से किसी राज्य सरकार द्वारा तथा बोर्ड से परामर्श के पश्चात् सौंपे जाएं ।

अध्याय 3

कीटनाशियों का रजिस्ट्रीकरण

6. रजिस्ट्रीकरण की रीति :—(1) अधिनियम के अधीन किसी कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में दिया जाएगा ।

(2) सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन प्ररूप और एक सौ रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय के समक्ष स्वरूप खजाना चलाना, रजिस्ट्रीकरण समिति, कीटनाशी अधिनियम, कृषि विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

(3) संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत वसूल की गई फीस, जर्माना आदि "XXI-प्रकीर्ण"—शीर्ष के अधीन निक्षिप्त की जाएगी ।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्ररूप 2 में होगा और वह उसमें वर्णित शर्तों के अधीन होगा ।

7. अपील.—(1) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील केन्द्रीय सरकार के कृषि विभाग को लिखित रूप में की जाएगी ।

(2) अपील लिखित रूप में होगी और उसमें संक्षिप्त रूप में तथा सुविधा शीर्षों के अधीन व आधार अवधारित किए जाएंगे जिन पर अपील की गई है ।

(3) प्रत्येक अपील के साथ दस रुपए की फीस के संदाय के साक्ष्यस्वरूप खजाना चलाना होगा और उस विनिश्चय की प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(4) अपील करने के लिए संदेय फीस कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत वसूल की गई फीस, जुर्माना आदि "XXI-प्रकीर्ण" शीर्ष के अधीन निक्षिप्त की जाएगी ।

8. **रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने के प्रकाशन की रीति** : किसी कीटनाशी को रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार या किसी कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण, ऐसे दो अंग्रेजी और हिन्दी समाचार पत्रों में, जिनका भारत के बड़े भाग में परिचालन है तथा भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित किसी पत्रिका में, भी प्रकाशित किया जाएगा ।

अध्याय 4

अनुज्ञप्ति की मंजूरी

9. **कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति**:—(1) किसी कीटनाशी के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन यथास्थिति, प्ररूप 3 या प्ररूप 4 में अनुज्ञापन अधिकारी को दिया जाएगा और इसके साथ प्रत्येक कीटनाशी, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन दिया गया है, के लिए पचास रुपए फीस, अधिकतम पांच सौ रुपए तक, होगी ।

(2) यदि किसी कीटनाशी के एक से अधिक स्थान पर विनिर्माण किए जाने की प्रस्थापना है तो पृथक आवेदन दिया जाएगा और ऐसे प्रत्येक स्थान की बाबत पृथक अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी ।

(3) कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति, प्ररूप 5 में होगी और उसमें वर्णित शर्तों के अधीन होगी ।

(4) अनुज्ञापन अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा और ऐसे इन्कार किए जाने पर संदत्त फीस आवेदक को वापस कर दी जाएगी ।

(5) इस नियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए, यदि मूल विकृत हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए या खो जाए, पांच रुपए फीस संदत्त की जाएगी ।

10. **कीटनाशियों के विक्रय, आदि के लिए अनुज्ञप्ति**:—(1) कीटनाशियों के विक्रय, विक्रय के लिए स्टाक या प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापन अधिकारी को, यथास्थिति, प्ररूप या प्ररूप 7 में किया जाएगा और उसके साथ उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

(2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी या नवीकरण के लिए उपनियम (1) के अधीन संदेय फीस प्रत्येक कीटनाशी के लिए, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन दिया गया हो, बीस रुपए, अधिकतम तीन सौ रुपए तक, होगी ।

(3) यदि किसी कीटनाशी की एक से अधिक स्थान पर विक्रय करने या विक्रय के लिए स्टाक करने की प्रस्थापना है तो पृथक आवेदन दिए जाएंगे और ऐसे प्रत्येक स्थान की बाबत पृथक अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी ।

(4) कीटनाशियों को विक्रय, स्टाक या विक्रय या वितरण के लिए प्रदर्शित करने के लिए अनुज्ञप्ति प्ररूप 8 में होगी और वह उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी ।

(5) अनुज्ञापन अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर करने से इंकार कर सकेगा और ऐसे इंकार किए जाने पर संदत्त फीस आवेदक को वापस कर दी जाएगी ।

(6) इस नियम के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के लिए, यदि मूल प्रति विकृत हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए या खो जाए, पांच रुपए फीस संदत्त की जाएगी ।

11. **अनुज्ञप्ति की अस्तित्वावधि** .—(क) इस अध्याय के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति, जब तक कि वह जल्दी ही निलम्बित या रद्द न कर दी जाए, जारी करने की तारीख से या नवीकरण की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक प्रवृत रहेगी ।

(ख) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उसके अवसान से पूर्व दिया जाएगा और यदि ऐसा आवेदन ऐसे अवसान से एक मास के भीतर दिया जाता है तो नवीकरण के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित शास्ति संदत्त की जाएगी, अर्थात् :—

(i) कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की दशा में पचास रुपए ;

(ii) किसी अन्य अनुज्ञप्ति की दशा में बीस रुपए ।

(ग) अनुज्ञप्ति तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक यह नवीकृत न कर दी जाए, या इंकार न कर दी जाए, या जहां धारा 15 के अधीन अपील की गई है वहां तब तक जब तक कि अपील का निपटान न कर दिया जाए, और यदि उसके अवसान के पश्चात् एक मास के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन न दिया जाए तो वह अवसित हुई समझी जाएगी ।

(घ) अनुज्ञापन अधिकारी सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा और ऐसे इंकार करने पर ऐसे नवीकरण के लिए संदत्त फीस या संदत्त शास्ति, यदि कोई हो, आवेदक को वापस कर दी जाएगी ।

12. **अनुज्ञप्ति की शर्तें** .—(क) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि अनुज्ञप्ति में दी गई हैं, इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति तब तक मंजूर नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि वे परिसर जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति मंजूर की जानी है पर्याप्त हैं, और किसी भी संकट से बचने के लिए तथा उन कीटनाशियों के गुणों का परिरक्षण करने के लिए, जिनकी बाबत अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, उचित भण्डार-स्थान से युक्त हैं ।

(ख) अनुज्ञप्ति मंजूर करने में, अनुज्ञापन अधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा :—

(i) उस परिक्षेत्र में, किसी वर्ष में मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या, और

(ii) आवेदक की उपजीविका, व्यापार या कारबार ।

13. **अनुज्ञप्ति में फेरफार या संशोधन** .—अनुज्ञापन-अधिकारी, या तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन दिए जाने पर या यदि उसका यह समाधान हो गया है कि उन शर्तों में, जिनके अधीन इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है, परिवर्तन हो गया है और यह कि ऐसा करना आवश्यक है, अनुज्ञप्ति के धारक व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति में फेरफार या संशोधन कर सकेगा ।

14. **अनुज्ञप्ति का अन्तरण** .—(1) अनुज्ञप्ति का धारक, किसी भी समय, अनुज्ञप्ति के अवसान से पूर्व, अनुज्ञप्ति के, किसी व्यक्ति को, अन्तरण की अनुज्ञा के लिए आवेदन दे सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन के साथ पांच रुपए की फीस होगी।

(3) अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसी पूछताछ करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, अनुज्ञप्ति के अन्तरण की अनुज्ञा दे सकेगा और ऐसी अनुज्ञा दिए जाने पर इस प्रभाव का एक पृष्ठांकन अनुज्ञप्ति पर किया जाएगा।

(4) यदि अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिए अनुज्ञा नामंजूर कर दी जाती है तो उसके लिए संदत्त फीस आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

15. **अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या निशक्तता की दशा में प्रक्रिया.**—(1) यदि उस व्यक्ति की जिसके नाम में इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, मृत्यु हो जाती है या वह उस कारबार को चलाने के लिए, जिसके लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, अयोग्य हो जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति जो कारबार चलाने में रुचि रखता हो अनुज्ञापन अधिकारी को, अनुज्ञप्ति को अपने नाम में अन्तरण करने के लिए, आवेदन दे सकेगा।

(2) यदि उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिए आवेदन दिया गया है तो आवेदक के लिए कारबार चलाना तब तक विधिमान्य होगा जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा आवेदन नामंजूर न कर दिया जाए।

अध्याय 5

पैक करना और लेबल लगाना

16. **विक्रय या वितरण पर तब तक प्रतिषेध जब तक कि कीटनाशी पैक न हो या उस पर लेबल न लगा हो.**—कोई भी व्यक्ति किसी कीटनाशी को तब तक स्टाक या विक्रय के लिए प्रदर्शित या वितरित नहीं करेगा जब तक कि वह इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार पैक न हो या उस पर लेबल न लगा हो।

17. **कीटनाशियों का पैक करना.**—कीटनाशी का प्रत्येक पैकेज इस प्रकार का होगा जो रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जिस आधान पात्र में कीटनाशी को पैक करने की प्रस्थापना है उसका एक नमूना या तो रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ भेजा जाएगा या रजिस्ट्रीकरण समिति को पृथक्तः दिया जाएगा।

18. **पैकेज में पर्चियों का होना.**—प्रत्येक कीटनाशी के पैकिंग में एक पर्ची होगी, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात् :—

(क) वे पादप-रोग, कीट और विदेशे जन्तु या घास-पात जिनके लिए कीटनाशी का अनुप्रयोग किया जाना है, जिस रीति से अनुप्रयोग के समय कीटनाशी का प्रयोग किया जाना है उससे सम्बन्धित पर्याप्त निदेश;

(ख) मानव, पशु और अंगली अंश जन्तु के लिए हानिकारक रसायनों से सम्बन्धित विशिष्टियां, चेतावनी और सतर्कता बरतने संबंधी विवरण, जिसमें विषाक्तता लक्षण, सुरक्षा के समुचित और पर्याप्त उपाय और जहां आवश्यक हो, आपात कालीन प्राथमिक उपचार सम्मिलित है;

(ग) ज्वलनशील, विस्फोटक या त्वचा के लिए अन्य हानिकारक पदार्थों से सम्बन्धित यथोचित चेतावनी सहित, कीटनाशियों के भंडार और अनुप्रयोग से सम्बन्धित सतर्कताएं ।

(घ) प्रयुक्त आधान पात्रों के विसंदूषण या सुरक्षा-पूर्वक व्ययन से सम्बन्धित अनुदेश;

(ङ) विषरोधक दर्शित करने वाला विवरण पर्ची और लेबल में सम्मिलित होगा ।

(च) यदि कीटनाशी त्वचा, नाक, गले या आंखों के लिए क्षोभक है तो इस आशय का एक विवरण सम्मिलित किया जाएगा ।

19. **लेबल लगाने की रीति** :—(1) किसी कीटनाशी के सब से भीतर के आधान पात्र के लेबल पर और सबसे बाहर के अच्छादों पर जिसमें आधान पात्र पैक किया गया है निम्नलिखित विशिष्टियां या तो अमिट स्याही में मुद्रित की जाएंगी या लिखी जाएंगी:—

(i) विनिर्माता का नाम (यदि विनिर्माता वह व्यक्ति नहीं है जिसके नाम में कीटनाशी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो जिस व्यक्ति के नाम में कीटनाशी रजिस्ट्रीकृत है और जो व्यक्ति विनिर्माण करता है, पैक या वितरण या विक्रय करता है, दोनों के सम्बन्ध का उल्लेख किया जाएगा) ।

(ii) कीटनाशी का नाम (ब्रांड नाम या व्यापार चिह्न जिसके अधीन कीटनाशी का विक्रय किया जाता है) ।

(iii) कीटनाशी की रजिस्ट्रीकरण संख्या ।

(iv) सक्रिय और अन्य संघटकों के प्रकार और नाम और प्रत्येक की निश्चत ।

(प्रत्येक संघटक के अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं या भारतीय मानक संस्था द्वारा स्वीकृत सामान्य नाम दिए जाएंगे यदि कोई सामान्य नाम नहीं है तो शुद्ध रासायनिक नाम जो रासायनिक नाम पद्धति के सामान्यतः स्वीकृत नियमों के अत्यधिक अनुरूप है दिया जाएगा)।

(v) शुद्ध अन्तर्वस्तु या आयतन ।

(शुद्ध अन्तर्वस्तु में लपेटने वाली या अन्य सामग्री सम्मिलित नहीं होगी । शुद्ध अन्तर्वस्तु अवास्थिति, भार, माप, सक्रियता की संख्या, या यूनिटों का सही विवरण दिया जाएगा । भार और आयतन मीटरी प्रणाली में अभिव्यक्त किया जाएगा)।

(vi) बैच संख्या ।

(vii) अवसान की तारीख, अर्थात् उस तारीख तक जब तक कीटनाशी अपनी प्रभावकारिता और सुरक्षा बनाए रखेंगे ।

(viii) प्रतिकारक विवरण ।

(2) लेबल आधान पात्र पर इस प्रकार चिपकाया जाएगा कि वह सामान्यतः हटाया न जा सके ।

(3) लेबल में एक सुस्पष्ट स्थान पर लेबल के आकार के कुल क्षेत्रफल के कम से कम सोलहवें भाग के बराबर का एक वर्ग (विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति का) 45° के कोण पर सैट किया जाएगा । उक्त वर्ग की विमा उस पैकेज के आकार पर निर्भर होगी जिस पर लेबल लगाया जाएगा । उक्त वर्ग को समान त्रिभुजों में विभाजित किया जाएगा, ऊपर के भाग में प्रतीक और उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट संकेत शब्द होगा और निम्नतर भाग में उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट रंग होगा ।

(4) उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट वर्ग के ऊपर के भाग में निम्नलिखित प्रतीक और चेतावनी-कथन होंगे,—

(i) प्रवर्ग 1 के (अत्यन्त विषैले) कीटनाशियों पर खोपड़ी और आड़ी अस्थियों का प्रतीक और लाल रंग में मुद्रित "विष" शब्द होंगे; लेबल पर त्रिभुज के बाहर समुचित स्थान पर निम्नलिखित चेतावनी कथन भी होंगे:—

(क) "बच्चों की पहुंच से दूर रखिए";

(ख) "यदि निगल लिया जाए, या विषाक्तता के लक्षण प्रकट हों, तो डाक्टर को तुरन्त बुलाइए";

(ii) प्रवर्ग II के (अधिक विषैले) कीटनाशियों पर लाल रंग में मुद्रित "विष" शब्द होगा और लेबल पर त्रिभुज के बाहर समुचित स्थान पर "बच्चों की पहुंच से दूर रखिए" कथन भी होगा;

(iii) प्रवर्ग III के (साधारण विषैले) कीटनाशियों पर "खतरा" शब्द होगा और लेबल पर त्रिभुज के बाहर समुचित स्थान पर "बच्चों की पहुंच से दूर रखिए" कथन भी होगा ;

(iv) प्रवर्ग 4 के (कम विषैले) कीटनाशियों पर "सावधान" शब्द होगा ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट वर्ग के नीचे के भाग में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट रंग होगा और यह उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कीटनाशियों के वर्गीकरण पर निर्भर होगा ।

सारणी

कीटनाशियों का वर्गीकरण	मुंह द्वारा लेने पर मध्यम घातक खुराक (तीक्ष्ण विषैलापन) नि० खु० 50 मिलीग्राम/किलोग्राम शरीर-भार	त्वचा पर मलने पर मध्यम घातक खुराक (डर्मल विषैलापन) नि०खु० 50 मिलीग्राम/किलोग्राम कड़ी खाल वाले पशुओं का शरीर भार	लेबल पर पहचान पट्ट का रंग
1	2	3	4
1. अत्यन्त विषैले	1—50	1—200	चमकीला लाल
2 अधिक विषैले	51—500	201—2000	चमकीला पीला
3. साधारण विषैले	501—5000	2001—20,000	चमकीला नीला
4. कम विषैले	5000 से अधिक	20,000 से अधिक	चमकीला हरा

(6) उपनियम (3), (4) और (5) के अधीन बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के अतिरिक्त उन कीटनाशियों के पैकेजों पर लगाए जाने वाले लेबलों में जो अत्यन्त ज्वलनशील हैं, यह उपदर्शित होगा कि यह ज्वलनशील है या यह कि कीटनाशी गर्मी या खुली आग और सी प्रकार की अन्य चीजों से दूर रखा जाए ।

(7) कीटनाशियों को रखने वाले पैकेजों पर चिपकाए या लगा जाने वाले लेबल और पर्चियां हिन्दी, अंग्रेजी और उस क्षेत्र, जहां उक्त पैकेजों के स्टाक विक्रय या वितरित किए जाने की संभावना है में प्रयोग की जाने वाली एक या दो प्रादेशिक भाषाओं में मुद्रित की जाएंगी ।

(8) कीटनाशियों पर लेबल लगाने में उत्पाद या इसके संघटकों की सुरक्षा के लिए अवांछित दावे नहीं होने चाहिएं । इसमें ऐसे कथन जैसे "निरापद", "विषहीन", "अक्षतिकर" या "अहानिकर" ऐसे वाक्यांशों सहित या बिना, जैसे कि "निदेशों के अनुसार प्रयोग करने पर" सम्मिलित हैं ।

20. **कीटनाशियों के आधान पात्रों, लबलों या रेपर पर उत्कीर्ण लेखों आदि में परिवर्तन करने के विरुद्ध प्रतिषेध** :—कोई भी व्यक्ति, किसी कीटनाशी के आधार पात्र, लेबल या रैपर पर विनिर्माता द्वारा उत्कीर्ण लेख बनाए गए या अभिलिखित प्रतीक को परिवर्तित नहीं करेगा, नहीं मिटाएगा या विकृत नहीं करेगा ।

परन्तु इस नियम में की कोई बात रजिस्ट्रीकरण समिति के अनुरोध निदेश या अनुज्ञा से किसी कीटनाशी के आधान पात्र, लेबल या वेष्टन पर किए गए किसी उत्कीर्ण लेख या चिह्न में किए गए परिवर्तन को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 6

कीटनाशी विश्लेषक और कीटनाशी निरीक्षक

21. **कीटनाशी विश्लेषक की अर्हताएं**:—कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन कीटनाशी विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं, अर्थात् :—

(क) कृषि में स्नातक या विशेष विषय के रूप में रसायन शास्त्र सहित विज्ञान में स्नातक; और

(ख) किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कीटनाशी–विश्लेषण का पर्याप्त प्रशिक्षण ।

22. **कीटनाशी विश्लेषक की शक्तियां** :—कीटनाशी विश्लेषक को, कीटनाशी निरीक्षक या उस व्यक्ति से जिससे नमूना प्राप्त किया गया था ऐसी जानकारी या विशिष्टियां मंगाने की या ऐसी कोई बात कर सकने की शक्ति होगी जैसी कि उसको भेजे गए नमूने के उचित परीक्षण के लिए आवश्यक हो ।

23. **कीटनाशी विश्लेषक के कर्तव्य** :—(1) कीटनाशी विश्लेषक, कीटनाशियों के ऐसे नमूनों का विश्लेषण करेगा या कराएगा या परीक्षण करेगा या कराएगा जो उसको अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कीटनाशी निरीक्षक द्वारा भेजे जाएं और ऐसे परीक्षणों और विश्लेषण की रिपोर्ट या परिणाम प्रस्तुत करेगा ।

(2) कीटनाशी विश्लेषक, समय-समय पर राज्य सरकार को, विश्लेषण कार्य और अन्वेषण की रिपोर्ट, सरकार के विवेकानुसार उनके प्रकाशन की दृष्टि से, अग्रेषित करेगा ।

24. **नमूने की प्राप्ति पर प्रक्रिया**—(1) कीटनाशी निरीक्षक से पैकेज, जिसमें परीक्षण या विश्लेषण के लिए नमूना है, प्राप्त करने पर कीटनाशी विश्लेषक पैकेट पर की मुद्राओं की, पृथक् रूप से प्राप्त छापित नमूने से तुलना करेगा और पैकेट पर की मुद्राओं की हालत लिखेगा ।

(2) कीटनाशी का परीक्षण या विश्लेषण करने में यह पर्याप्त होगा कि कीटनाशी विश्लेषक भारतीय मानक संस्था द्वारा अपनाई गई या स्वीकृत नमूनों के परीक्षण की रीति का अनुपालन करता है । नमूनों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे यह अवधारित किया जा सके कि इसमें कीटनाशी गुण हैं और क्या लेबल पर कथित संघटक विद्यमान हैं और क्या उत्पादों में कोई उपमिश्रण है । यदि आवश्यक हो तो लेबल पर दिए गए के अनुसार कीटनाशियों की प्रभाविकता को अवधारित करने के लिए प्रयोगशाला या क्षेत्र-परीक्षण किए जाएंगे ।

(3) उपनियम (2) के अधीन परीक्षण या विश्लेषण निष्पादित किए जाने के पश्चात् कीटनाशी विश्लेषक, कीटनाशी निरीक्षक को परिणाम परीक्षण या विश्लेषण की एक रिपोर्ट प्ररूप 9 में तीन प्रतियों में तुरन्त देगा ।

25. **परीक्षण या विश्लेषण के लिए संदेय फीस**—(1) अधिनियम के अधीन कीटनाशियों के परीक्षण और विश्लेषण के लिए संदेय फीसें वे होंगी, जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) कीटनाशी निरीक्षक के अनुरोध पर निष्पादित किए गए नमूनों के नेमी परीक्षण या पुनः जांच के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

26. **कीटनाशी निरीक्षक की अर्हताएं**—कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन कीटनाशी निरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए केवल तभी पात्र होगा यदि उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं, अर्थात्:—

(क) कृषि में स्नातक या विज्ञान में स्नातक जिसके विषयों में एक विषय रसायन शास्त्र हों; और

(ख) पर्याप्त क्षेत्र अनुभव ।

27. **कीटनाशी निरीक्षक के कर्तव्य**—कीटनाशी निरीक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:—

(1) अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर कीटनाशियों का विक्रय करने वाले सब स्थापनों का एक वर्ष में कम से कम तीन बार निरीक्षण करना;

(2) अपना यह समाधान करना कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है;

(3) कीटनाशियों के उन नमूनों को उपाप्त करना और परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजना, जिनकी बाबत उसको यह शक होने का कारण है कि वे अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में विक्रय, स्टाक या विक्रय के लिए स्वीकार किए जा रहे हैं;

(4) क्रम लिखित शिकायत या अन्वेषण करना जो उसे दी जाए;

(5) अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के भंग करने की बाबत अभियोजन संस्थित करना;

(6) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में, जिसमें नमूने लेना और स्टाक का अभिग्रहण करना सम्मिलित है, उसके द्वारा किए गए सभी निरीक्षणों और की गई कार्रवाई का अभिलेख बनाए रखना और ऐसे अभिलेखों की प्रतियों को अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(7) ऐसी पूछताछ और निरीक्षण करना जो अधिनियम के उल्लंघन में कीटनाशियों के विक्रय और उपयोग का पता चलाने के लिए आवश्यक हैं ।

28. **कीटनाशियों के विनिर्माण का निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत निरीक्षकों के कर्त्तव्य**—कीटनाशियों के विनिर्माण के निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत निरीक्षक के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे :—

(1) अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्त सभी परिसरों का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करना और अपना यह समाधान करना कि अनुज्ञप्ति की शर्तों और अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का पालन किया जा रहा है;

(2) प्रत्येक निरीक्षण के तुरन्त पश्चात् अनुज्ञापन अधिकारी को अनुज्ञप्ति की उन शर्तों और अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उन उपबन्धों को, जिनका पालन किया जा रहा है और उन शर्तों और उपबन्धों को, यदि कोई हों, जिनका पालन नहीं किया जा रहा है, उपदर्शित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगा।

(3) परिसर पर विनिर्मित किए गए कीटनाशियों के नमूने लेना और उनको इन नियमों के अनुसार परीक्षण या विश्लेषण के लिए भेजना ।

(4) विषाक्तता की सभी घटनाओं की सरकार को रिपोर्ट करना ।

29. **जानकारी प्रकट करने का प्रतिषेध**—कीटनाशी निरीक्षक अपने शासकीय कर्त्तव्य के पालन में अर्जित जानकारी को, शासकीय कारबार के प्रयोजन के सिवाय या जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित हो, तब के सिवाय, किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा ।

30. **स्टाक का व्ययन न करने के लिए आदेश का प्ररूप**—कीटनाशी निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति को उसके कब्जे में के किसी स्टाक को व्ययन न करने के लिए आदेश प्ररूप 10 में होगा।

31. **विक्रय का प्रतिषेध**—कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसा कीटनाशी है जिसकी बाबत कीटनाशी निरीक्षक ने नियम 30 के अधीन आदेश दिया है उस आदेश के उल्लंघन में ऐसे कीटनाशी के स्टाक का विक्रय नहीं करेगा या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा ।

32. **अभिगृहीत कीटनाशियों के लिये रसीद का प्ररूप**—कीटनाशी निरीक्षक द्वारा किसी कीटनाशी के अभिगृहीत स्टाक के लिए रसीद प्ररूप 11 में होगी ।

33. **नमूने लेने के प्रयोजन के लिए प्रज्ञापना का प्ररूप**—जहां कोई निरीक्षक परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कीटनाशी का नमूना लेता है, वहां वह उस व्यक्ति को जिससे वह नमूना लेता है ऐसा प्रयोजन लिखित रूप में प्ररूप 12 में प्रज्ञापित करेगा।

34. **नमूने का परिक्षण या विश्लेषण के लिए प्रेषण**—(1) अधिनियम के अधीन परीक्षण या विश्लेषण के लिए नमूने मुद्राबन्द पैकेट में जिसके बाहरी आवरण पर कीटनाशी विश्लेषक का पता हो, प्ररूप 13 में ज्ञापन सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या दस्ती भेजा जाएगा ।

(2) पैकेट और बाहरी आवरण दोनों ही मुभिन्नक चिन्ह से चिन्हित किए जाएंगे ।

(3) प्ररूप 13 में के ज्ञापन की एक प्रति, निरीक्षक की मुद्राओं के और उस व्यक्ति की जिससे वह ऐसे नमूने लेता है, मुद्राओं, यदि कोई हों, के छापित नमूने सहित कीटनाशी विश्लेषक को, पृथकतः रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या दस्ती भेजी जाएगी ।

अध्याय 7

कीटनाशियों का रेल, सड़क या जल द्वारा अभिवहन में परिवहन और भंडारकरण

35 **रेल द्वारा अभिवहन के दौरान पैक करने भंडारकरण की रीति**—(1) रेल द्वारा परिवहन के लिए प्रस्थापित वे पैकेज जिनमें कीटनाशी हैं, ऐसी शर्तों के अनुसार पैक किए जाएंगे जैसी कि रेल मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए रेल टैरिफ में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) किसी भी कीटनाशी का इस प्रकार से परिवहन या भंडार नहीं किया जाएगा जिससे कि उनका खाद्य सामग्री या जानवरों के चारे के साथ सीधा संस्पर्श हो ।

(3) कोई भी खाद्य सामग्री या जानवरों का चारा जो परिवहन या भंडारकरण के दौरान कीटनाशियों के पैकेजों की क्षति के फलस्वरूप कीटनाशियों से मिश्रित हो गए हैं, परेषिती को तब तक सौंपा नहीं जाएगा जब तक कि इसका सम्भावित संदूषण की दृष्टि से ऐसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण न कर लिया जाए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(4) यदि यह मालूम हो जाए कि कोई कीटनाशी परिवहन या भंडारकरण में रिस गया है तो परिवहन अभिकरण या भंडार स्वामी का उत्तरदायित्व होगा कि वह शीघ्र ही ऐसे उपाय करे कि जिससे कि मृदा या जल की विषाक्तता और प्रदूषण, यदि कोई हो, निवारित हो जाए ।

36. **कीटनाशियों के भंडारकरण के लिए शर्तों का विनिर्दिष्ट किया जाना**.—(1) कीटनाशियों के पैकेज अन्य वस्तुओं को भंडार करने के लिए प्रयुक्त कमरों और परिसरों से दूर पृथक कमरों और परिसरों में भंडार किये जायेंगे या वे पृथक तालाबन्द अलमारी में रखे जायगे, जो कीटनाशी के परिमाण और प्रकृति पर निर्भर करेगा ।

(2) कीटनाशियों का भण्डार करने के लिए आशयित कमरे और परिसरें भली प्रकार बनी होंगी, सूखी होंगी, भली प्रकार प्रकाशित और संवातित होंगी और पर्याप्त बिमा वाली होंगी ।

अध्याय 8

कीटनाशियों के विनिर्माण, आदि के दौरान कर्मकारों के लिए बचाव-वस्त्र, उपस्कर और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित उपबन्ध

37. **चिकित्सीय परीक्षा**.—(1) उन व्यक्तियों की जो कीटनाशियों को, उनके विनिर्माण, सूत्रयोजन, परिवहन, वितरण या अनुप्रयोग के दौरान, उठाने-रखने के काम में लगाये जायगे उनकी नियोजन पूर्व और सेवा के दौरान आवधिक चिकित्सीय परीक्षा ऐसे सक्षम चिकित्सक द्वारा की जायेगी जो ऐसे खतरों से परिचित है जिनका सामना ऐसे कर्मकारों को करना होगा ।

(2) जिस व्यक्ति को विषाक्तता के लक्षण प्रकट होते हैं, उसकी तुरन्त परीक्षा की जायेगी और उचित उपचार किया जायेगा ।

38. **प्राथमिक उपचार के उपाय.**—विषाक्तता के प्रत्येक मामले में चिकित्सक को बुलाने से पूर्व सदैव ही प्राथमिक उपचार किया जायेगा । ऐसे प्राथमिक उपचार के लिए इस विषय पर अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त "दी इन्डियन स्टैन्डर्ड्स गाइड फॉर हैंडलिंग केसेज ऑफ पेस्टीसाइड पोयजनिंग" —भाग 1, "फर्स्ट एड मैजर्स" [भा० मा० 4015 (भाग 1)—1967] और भाग II "सिम्पटम्स, डाइग्नोजिस एण्ड ट्रीटमेंट" [भा० मा० 4015 (भाग II)—1967] की सहायता ली जायेगी । कर्मकारों को विषाक्तता के प्रभावों और प्राथमिक उपचार के विषय में भी शिक्षित किया जाना चाहिए ।

39. **रक्षी वस्त्र.**—(1) कीटनाशियों के विनिर्माण, सूत्रयोजन, परिवहन, वितरण या अनुप्रयोग के दौरान उनको उठाने-रखने आदि का कार्य करने वाले व्यक्तियों की समुचित रक्षी वस्त्रों द्वारा पर्याप्त संरक्षा की जायेगी ।

(2) रक्षी-वस्त्र जहां आवश्यक हो, नियम 40 में अधिकथित श्वेसनसाधनों के साथ-साथ प्रयोग किये जायेंगे ।

(3) रक्षी-वस्त्र ऐसी सामग्री से बनाये जायेंगे कि वे कीटनाशी सूत्रयोग के किसी भी रूप का निरोध कर सकें उनके अन्तः रोधन का प्रतिरोध कर सकें । यह सामग्री धोने योग्य भी होगी ताकि प्रत्येक बार प्रयोग करने के पश्चात् विषैले तत्व हटाये जा सकें ।

(4) रक्षी-वस्त्र के सम्पूर्ण सूट में निम्नलिखित पोशाकें होंगी, अर्थात् :—

(क) डांगरी/ओवरआल/छद्म/टोप;

(ख) रबड़—दस्ताने या ऐसे अन्य बचाव—दस्ताने जो बांह को आधे नक ढक लें और जो ऐसी सामग्री से बने हों जो द्रवों के लिए अपारगम्य हों;

(ग) धूल-रोधी चश्मा;

(घ) जूते ।

40. **श्वसन-साधन.**—विषैली धूल, वाष्प या गैसों के अभिश्वसन के रोकने के लिए कर्मकार इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त, निम्न प्रकार के श्वसित्र या गैस-मास्क का प्रयोग करेंगे, अर्थात् :—

(क) रासायनिक—कार्ट्रिज श्वसित्र;

(ख) प्रदत्त वायु श्वसित्र;

(ग) डिमांड फ्लोटाइप श्वसित्र;

(घ) पूरे चेहरे या आधे चेहरे के केनिस्तर सहित गैसमास्क ।

जहां कीटनाशी मिश्रित है वहां वायु में कीटनाशियों की सान्द्रता किसी भी दशा में अधिकतम अनुज्ञय मानों से अधिक नहीं होगी ।

41. **विनिर्माता आदि को प्रतिकारक और प्राथमिक उपचार औषधियों का पर्याप्त मात्रा में रखना** —कीटनाशियों के विनिर्माता और वितरक और ऐसे व्यक्ति (जिन्हें इसके पश्चात् इन नियमों में प्रचालक कहा गया है), जो वाणिज्यिक आधार पर कीटनाशी का छिड़काव करते हैं, प्राथमिक उपचार के ऐसे औजारों, उपस्करों, प्रतिकारकों, इन्जक्शनों और औषधियों का पर्याप्त स्टाक रखेंगे जैसा कि अभिश्वसन, त्वचा संदूषण, नेत्र संदूषण और निगलने से उत्पन्न होने वाली विषाक्तता के मामलों के उपचार के लिए अपेक्षित है ।

42. **कर्मकारों का प्रशिक्षण.**—कीटनाशियों के विनिर्माता और वितरक और प्रचालक कर्मकारों के सुरक्षा पूर्वाविधानियों के अनुपालन के सम्बन्ध में और उनको दिये गये सुरक्षा उपस्कर को संभालने के सम्बन्ध में यथोचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे ।

43. **आकाशी छिड़काव संक्रियाएं.**—कीटनाशियों का आकाशी अनुप्रयोग निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) क्षेत्र का चिह्नन करने का उत्तरदायित्व प्रचालकों का होगा;

(ख) प्रचालक केवल अनुमोदित कीटनाशियों और उनके सूत्रयोगों का अनुमोदित सान्द्रता और ऊंचाई पर प्रयोग करेंगे;

(ग) धुलाई, असंदूषण और प्राथमिक उपचार की सुविधाओं की व्यवस्था प्रचालकों द्वारा की जायेगी ।

(घ) सभी आकाशी संक्रिया जनता को सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से कम से कम चौबीस घंटे पहले अधिसूचित की जायेंगी;

(ङ) वे पशु और व्यक्ति जो संक्रियाओं से सम्बन्धित नहीं हैं ऐसे क्षेत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश करने से रोके जायेंगे ।

(च) पाइलटों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें कीटनाशियों के रोगोत्पादक प्रभाव सम्मिलित हैं ।

44. **प्रयोग किए गए पैकेजों, अतिरिक्त सामग्री और कीटनाशियों के धोवन का व्ययन.**—

(1) कीटनाशियों के विनिर्माताओं, सूत्रयोजकों और प्रचालकों का यह कर्तव्य होगा कि व पैकेजों या अतिरिक्त सामग्री और धोवन का इस प्रकार सुरक्षित रीति से व्ययन करें कि वातावरण या जल प्रदूषण रोका जा सके ।

(2) प्रयोग किये गये पैकेज, उनका पुनः प्रयोग रोकने की दृष्टि से, बाहर नहीं छोड़े जायेंगे ।

(3) पैकेज तोड़ दिये जायेंगे और निवास से दूर जमीन में दबा दिये जायेंगे ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

45. **वे स्थान जहां कीटनाशियों का आयात किया जा सकेगा.**—किसी भी कीटनाशी का सिवाय निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक में होकर भारत में आयात नहीं किया जायेगा, अर्थात् :—

पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पार से रेल द्वारा आयात किये गये कीटनाशियों की बाबत फिरोजपुर छावनी और अमृतसर रेलवे स्टेशन ।

पूर्वी पाकिस्तान की सीमापार से रेल द्वारा आयात किये गये कीटनाशियों की बाबत—रानाघाट, बनगांव और महियासान रेलवे स्टेशन ।

भारत में वायुमार्ग द्वारा आयात किये गये कीटनाशियों की बाबत—मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, कोचीन और अहमदाबाद ।

भारत में वायु-मार्ग द्वारा आयात किये गये कीटनाशियों की बाबत--मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद ।

46. **बोर्ड आदि के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते.**—बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण समिति और बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति के सदस्य, यथास्थिति, बोर्ड, रजिस्ट्रीकरण समिति या अन्य समिति के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो तत्समय केन्द्रीय सरकार के श्रेणी 1 अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।

प्रथम अनुसूची

प्ररूप 1

[नियम 6 (1) देखिये]

कीटनाशियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता . .

2. कीटनाशी का व्यापार-नाम जिसका आवेदक आयात या विनिर्माण कर रहा है अथवा आयात या विनिर्माण करने की प्रस्थापना करता है ।

3. रासायनिक संरचना (संरचना का ब्यौरा, जिसमें सभी संघटक और सक्रिय संघटकों की रसायनिक पहचान सम्मिलित है जिसमें उनकी भंडारकरण में स्थायित्व सम्मिलित है)

4. उत्पादों का मनुष्यों, वन्य प्राणियों, जलीय प्राणियों के लिए विषैलापन (सक्रिय संघटकों से सम्बन्धित पर्याप्त विषैलेपन से सम्बन्धित आंकड़े संलग्न किए जाने हैं) ।

5. वे पादप-रोग, कीट और अन्य अनिष्टकर जन्तु और घासपात जिनके विरुद्ध इसका प्रयोग किया जाना आशयित है । (कीटनाशियों की प्रभावकारिता से सम्बन्धित जैविक परीक्षणों पर शासकीय या प्रायोगिक स्टेशन की रिपोर्ट दी जानी हैं) ।

6. भंडारकरण और प्रयोग के लिए अनुदेश जिसमें प्राथमिक उपचार और पूर्वावधानियों से सम्बन्धित विषय सम्मिलित हैं, जो लेबल पर लिखे जाने हैं ।

7. सूत्रयोजित योगिक और उसके अवशेषों के लिये विश्लेषण की रीतियां ।

IndiaCode

8. प्रस्थापित/विद्यमान लेबल की सात प्रतियां (इसमें वह सभी मुद्रित और लेखा चित्रीय सामग्री सम्मिलित है जो कीटनाशियों को रखने के पैकेजों के साथ होंगी) ।

9. पैक करने की रीति ।

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर
पदाभिधान और मुद्रा

सत्यापन

मैं..... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा और सद्भावपूर्वक कथित करता हूं कि पैरा 1 से 9 तक में जो कथित किया गया है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 2

[नियम 6 (4) देखिए]

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

कीटनाशियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि
कीटनाशी उस व्यक्ति/उपक्रम के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया गया है जिनकी शिरिटयां नीचे विनिर्दिष्ट हैं :—

1. व्यक्ति/उपक्रम का नाम
2. पता
3. रजिस्ट्रीकरण सं० . . .
4. कीटनाशी का नाम
5. शर्तें, यदि कोई हों . . .
(कीटनाशी का ब्राण्ड-नाम या व्यापार-नाम या रासायनिक-नाम, इसकी संरचना आदि से सम्बन्धित ब्यौरे) ।

नई दिल्ली19

हस्ताक्षर.....
विभाग की मुद्रा

शर्तें

प्ररूप 3

[नियम 9 (1) देखिये]

कीटनाशियों के विनिर्माण के लिये अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये आवेदन

1. मैं / हम.....निवासी एतद्द्वारामें स्थित परिसर में नीचे वर्णित कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये आवेदन करता हूं/ करते हैं :—

कीटनाशियों का नाम (प्रत्येक कीटनाशी पृथकतः विनिर्दिष्ट किया जाए)

2. विनिर्माण करने वाले परिसर में विनिर्दिष्ट उत्पादों के विनिर्माण और परीक्षण से वास्तविक रूप से सम्बन्धित विशेषज्ञ कर्मचारिवृन्द के नाम, अर्हतायें और अनुभव

3. मैं / हम इसके साथ निम्नलिखित संलग्न कर रहा हूं / कर रहे हैं :—

(क) मेरी/हमारी ओर से उस विनिर्माण समुत्थान को भेजे गये पत्र की सत्यप्रति जिसकी विनिर्माण क्षमता का मैं / हम उपयोग करना चाहता हूं/ चाहते हैं ।

(ख) विनिर्माण समुत्थान के उस पत्र की सत्यप्रति जिसमें उन्होंने मेरे / हमारे द्वारा अपेक्षित प्रत्येक कीटनाशी के विनिर्माण के लिए अपने विशेषज्ञ, कर्मचारिवृन्द, उपस्कर और परिसर की सेवायें उधार देने की और इस बात की सहमति दी है कि वे तैयार उत्पाद के प्रत्येक बैच का विश्लेषण करेंगे और कच्चे माल, तैयार उत्पाद और विश्लेषण की रिपोर्ट के रजिस्टर, इस निमित्त पृथक बनाये रखेंगे ।

(ग) विनिर्माण के लिये प्रस्थापित उत्पादों के लेबलों, कार्टनों के नमूने ।

4.रु० की फीस.....लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सरकार के लेखा में जमा कर दी गई है ।

तारीख..... हस्ताक्षर.....

प्ररूप 4

[नियम 9 (1) देखिये]

कीटनाशियों के विनिर्माण के लिये अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवेदन

1. मैं / हम..... निवासी एतद्द्वारा में स्थित परिसर पर कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये आवदन देता हूं / देते हैं (अनुज्ञप्ति की संख्या और दी जाने वाली तारीख)

2. कीटनाशी के विनिर्माण से सम्बन्धित अन्य ब्यौरे * वही रहेंगे ।

3. अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिये रु० की फीस.....लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सरकार के लेखा में जमा कर दी गई है ।

**यदि विनिर्माण के ब्यौरों में या अनुज्ञप्ति की शर्तों में, जिनके अधीन रहते हुये अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जाना अपेक्षित है, कोई परिवर्तन है तो वह यहां उपदर्शित किया जा सकता है ।

4. अनुज्ञप्ति इसके साथ संलग्न है ।

तारीख..... हस्ताक्षर

प्ररूप 5

[नियम 9 (3) देखिये]

कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति

1. अनुज्ञप्ति की संख्या और जारी करने की तारीख.....

2..... निवासीको एतद्द्वारा निम्नलिखित विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के निदेश और पर्यवेक्षण के अधीन मेंमें स्थित परिसर पर निम्नलिखित कीटनाशियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर की जाती है ।

(क) विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द (नाम).....

(ख) कीटनाशियों का नाम,.....

3. यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित कीटनाशियों के थोक विक्रय के लिए और अनुज्ञप्ति धारक द्वारा विक्रय के लिए भण्डारकरण के लिए प्राधिकृत करती है ।

4. अनुज्ञप्ति, जारी होने की तारीख से.....वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

5. अनुज्ञप्ति नीचे कथित शर्तों और ऐसी शर्तों के अधीन रहेगी जैसीकि कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

तारीख..... हस्ताक्षर.....

पदाभिधान.....

अनुज्ञापन अधिकारी की मुद्रा

शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति और नवीकरण का कोई प्रमाण-पत्र अनुमोदित परिसर पर रखा जाएगा और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन नियुक्त कीटनाशी निरीक्षक या अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के मांगने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

2. अनुज्ञप्ति में दिए गए विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द के नामों में कोई परिवर्तन अनुज्ञापन अधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट किया जाएगा ।

3. यदि अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति चालू रहने के दौरान, अतिरिक्त कीटनाशियों का विक्रय के लिए विनिर्माण करना चाहता है तो उसे कीटनाशी के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए———रु० की फीस संदत्त करने पर अनुज्ञप्ति में आवश्यक पृष्ठांकन करने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को आवेदन देना चाहिए ।

4. नवीकरण ।

प्ररूप 6

[नियम 10(1) देखिये]

कीटनाशियों के विक्रय, विक्रय के लिए स्टाक या प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन

सेवा में,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

. राज्य ।

1. आवेदक का पूरा नाम और पता

2. क्या आवेदक नया व्यवसायी है,

(उत्तर 'हां' या 'नहीं' में दीजिए)

3. यदि हो तो उन मालिकों के नाम, यदि कोई हों, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है ।

4. (i) यदि आवेदक, उस व्यवसाय में पहले से है तो उन कीटनाशियों का नाम जिनका व्यवसाय किया है और व्यवसाय की अवधि और स्थान (और वे मालिक जिनका उसने प्रतिनिधित्व किया है)

(ii) गत दो कैलेन्डर वर्षों में कीटनाशी की कितनी मात्रा का व्यवसाय किया गया: (क)

5. मैं उन मालिकों का जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं या जिनका प्रतिनिधित्व करना आशयित है और स्त्रोत।उन स्त्रोतों का, जिनसे कीटनाशी प्राप्त किए जाएंगे, प्रमाण–पत्र संलग्न करता हूं ।

6. आवेदन की तारीख को मेरे/हमारे कब्जे में (विक्रय डिपो और उससे संलग्न गोदामों में) प्रत्येक कीटनाशी की धारा मात्रा (टनों में) ।

7. व्यौहारी के परिसर की स्थिति जहां कीटनाशी (क) भंडार; और (ख) विक्रय किए जाएंगे ।

8. उन कीटनाशियों के नाम जिनका कारबार आवेदक करना चाहता है ।

9. अन्य राज्य सरकारों द्वारा, यदि कोई हों, अपने क्षेत्र में उसके नाम में जारी की गई अनुज्ञप्तियों की पूरी विशिष्टियां ।

10. मैंने अनुज्ञप्ति फीस जमा कर दी है ।

बजाना चालान सं०———————

रु० बजाना.

11—घोषणा :

(क) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और उसका कोई भी अंश असत्य नहीं है।

(ख) मैंने/हमने अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और उनका पालन करने को सहमत हूं/हैं।

आवेदक (आवेदकों) के नाम
और पते स्पष्ट अक्षरों में आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

तारीख.....

स्थान.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी की टिप्पणी।

प्ररूप 7

[नियम 10(1) देखिए]

कीटनाशियों के विक्रय, विक्रय के लिए स्टाक या प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

सेवा में

अनुज्ञापन प्राधिकारी,

————————राज्य।

मैं/हम एतद्द्वारा————————के नाम और अभिनाम से कीटनाशियों के विक्रय, विक्रय के लिए स्टाक या प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। नवीकरण के लिए ईप्सित अनुज्ञप्ति————————राज्य के अनुज्ञापन द्वारा प्राधिकारी द्वारा मंजूर की गई थी और 19————के/की————————दिन अनुज्ञप्ति सं०————————आवंटित की गई थी।

2. आवेदक के परिसर की स्थिति जहां कीटनाशी (क) भण्डार और (ख) विक्रय किए जाते हैं/किए जायेंगे—

(i) मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे परिसर की स्थिति जहां कीटनाशी (क) भण्डार और (ख) विक्रय किए जाते हैं नीचे कथित किए गए के अनुसार हैं :—

(क) वे परिसर जहां कीटनाशी भण्डार किए जाते हैं।

(ख) वे परिसर जहां कीटनाशी विक्रय किए जाते हैं।

(ii) वे कीटनाशी जिनका मैं/हम कारबार कर रहा हूं/रहे हैं और उन मालिकों के नाम जिनका मैं/हम प्रतिनिधित्व करता करते हैं/नीचे कथित किए गए के अनुसार हैं।

आवेदक का पूरा नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

तारीख————————

स्थान————————

प्रपत्र 8

[नियम 10(4) देखिए]

कीटनाशियों के विक्रय विक्रय के लिए स्टाक या प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति

1. श्री————————को————————में स्थित परिसर पर ————————कीटनाशी के फुटकर विक्रय, विक्रय के लिए स्टाक या प्रदर्शन या वितरण करने के लिये विनिर्दिष्ट शर्तों और कीटनाशी अधिनियम, 1968 और तदधीन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए एतद्द्वारा अनुज्ञप्त किया जाता है।

2. अनुज्ञप्ति———— से————तक प्रवृत्त रहेगी।

3. कीटनाशियों के प्रवर्ग।

अनुज्ञप्ति सं०————————

तारीख———————— अनुज्ञापन-प्राधिकारी मुद्रा

शर्तें

1. अनुज्ञप्ति परिसर के भाग में किसी ऐसे प्रमुख स्थान पर जो जनता के लिए खुला हो संदर्शित की जाएगी।

2. अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी अधिनियम, 1968 और तत्समय प्रवृत्त उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

3. किसी कीटनाशी का विक्रय ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जिसके पास कीटनाशी के विक्रय, विक्रय के लिए स्टाक या प्रदर्शन या वितरण के लिए अनुज्ञप्ति न हो।

परन्तु यह शर्त उस अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कीटनाशी के विक्रय के संबंध में लागू नहीं होगी जो सरकार की ओर से खरीद रहा हो।

नवीकरण

प्रपत्र 9

[नियम 24 (3) देखिए]

कीटनाशी विश्लेषक की रिपोर्ट

1. उस कीटनाशी निरीक्षक का नाम जिससे प्राप्त किया———
2. कीटनाशी निरीक्षक के ज्ञापन की क्रम सं० और तारीख———
3. नमूना संख्या———
4. प्राप्ति की तारीख———
5. नमूने में होने वाले तात्पर्यित कीटनाशी का नाम———
6. पैकेज पर मुद्राओं की स्थिति———
7. अनुप्रयुक्त परीक्षणों के संलेखों सहित परीक्षण या विश्लेषण के परिणाम———

तारीख———

कीटनाशी विलेषक

प्रपत्र 10

(नियम 30 देखिये)

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 (1) (घ) के अधीन आदेश, जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कब्जाधीन किसी स्टाक का व्ययन न करे।

यतः मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि आपके कब्जे में———के स्टाक का, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा———के या कीटनाशी नियम, 1971 के———के उपबन्धों के उल्लंघन में, वितरण, विक्रय या उपयोग किया गया है।

मैं आप से उक्त अधिनियम की धारा 21 (1) (च) के अधीन एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूं कि आप उक्त स्टाक का इस तारीख से———दिन की अवधि तक वितरण, विक्रय या उपयोग रोक दें।

तारीख———

कीटनाशी/सूत्रयोग के स्टाक का ब्यौरा

1.

2.

3.

4.

5.

6.

तारीख ———————————— कीटनाशी निरीक्षक

मुद्रा

IndiaCode

प्ररूप 11

(नियम 32 देखिये)

अभिगृहीत कीटनाशियों की रसीद का प्ररूप

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 (1) (घ) के अधीन अभिगृहीत कीटनाशी के स्टाक के लिए रसीद।

मैंने आज, श्री ———————————के ———————————
स्थित परिसर से कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 21 (1) (घ) के उपबन्धों के अधीन कीटनाशी का स्टाक अभिगृहीत किया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

अभिगृहीत कीटनाशी के ब्यौरे ये हैं :—

(क)

(ख)

(ग)

(घ)

कीटनाशी निरीक्षक
शासकीय स्टाम्प

तारीख ——— — ———

IndiaCode

प्ररूप 12

(नियम 33 देखिये)

उस व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी को प्रज्ञापना जिससे नमूना लिया गया है।

सेवा में,

मैंने आज, श्री _____ के _____ स्थित परिसर से नीचे विनिर्दिष्ट कीटनाशी के नमूने परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिये लिये हैं।

तारीख :

कीटनाशी निरीक्षक _____

लिए गए नमूने के ब्यौरे

तारीख.

कीटनाशी निरीक्षक _____

IndiaCode

प्ररूप 13

(नियम 34 देखिए)

सरकारी विश्लेषक को ज्ञापन

प्रेषक,

सेवा में,

सरकारी विश्लेषक,

नीचे वर्णित नमूने/आधान पात्र का भाग कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 34 के अधीन परीक्षण या विश्लेषण के लिये एतद्द्वारा भेजा जा रहा है।

नमूने/आधान पात्र के भाग को मैंने निम्नलिखित चिन्ह से चिह्नित किया है:—

नमूने या आधान पात्र के भाग के, उस कीटनाशी के नाम सहित जिसका उसमें होना तात्पर्यित है, ब्यौरे।

तारीख _____ कीटनाशी निरीक्षक _____

मुद्रा

तृतीय अनुसूची

(नियम 25 देखिए)

कीटनाशियों के नमूनों के परीक्षण या विश्लेषण के लिए फीस

क्रम सं०	कीटनाशी	भा मा सं सं० और वर्ष	परीक्षण प्रभार रु० पैसे
1	2	3	4
1. डी० डी० टी०	तकनीकी	भामा 563–1961	115.00
2. बी० एच० सी०	,, और परिष्कृत	,, 560–1969	100.00
3. एनड्रीन	,,	,, 1309–1958	40.00
4. आल्ड्रिन	,,	,, 1306–1958	40.00
5. डील्ड्रिन	,,	,, 1052–1962	50.00
6. मेलाथायान	,, (नमी के बिना)	,, 1832–1961	65.00
7. पेराथीयान	,, ,,	,, 2128–1962	65.00
8. डाइएजिनान	,, ,,	,, 1833–1961	65.00
9. गम्मा बी० एच० सी०	, (लिन्डेन)	,, 882–1956	110.00
10. क्लोर्डेन	,, (केबल ग्रेड)	,, 2863–1964	20.00
11. कापर आक्सीक्लोराइड	,,	,, 1486–1969	110.00
12. मर्क्यूरस आक्साइड	,, (फफूंद नाशक श्रेणी)	,, 1682–1960	90.00
13. जिंक फास्फाइड	,,	,, 1251–1958	40.00
14. एथिल मरकरी क्लोराइड	,,	,, 2354–1963	55.00
15. फेनिल ,, ,,	,,	,, 2353–1963	45.00
16. स्थायीकृत मेथाक्सी एथल मरकरी क्लोराइड सान्द्र		,, 2127–1962	45.00
17. स्थायीकृत एथाक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड सान्द्र		,, 2355–1963	45.00
18. फेनिल मरकरी सेलिसिलेट	,,	,, 2125–1962	45.00
19. फेनिल मरकरी एसीटेट	,,	,, 2126–1962	55.00
20. बी० एच० सी०	धूलीयन चूर्ण	,, 561–1962	90.00
21. डी० डी० टी०	,,	,, 564–1961	40.00

IndiaCode

1	2	3	4	
22. आल्ड्रिन	धूलीयन चूर्ण	भामा	1308–1958	70.00
23. क्लोडन	,, ,,	,,	2864–1964	50.00
24. मैलाथायान	,, ,,	,,	2568–1963	55.00
25. पैराथायान	,, ,,	,,		55.00
26. क्यूप्रस आक्साइड	,, ,,	,,	16 69–1960	50.00
27. कापर आक्सीक्लोराइड	,, ,,	,,	1506–1967	50.00
28. स्थायीकृत मेथाक्सी एथिल मरक ी क्लो-राइड सान्द्र पर आधा-रित सूत्रयोग		,,	2358–1963	35.00
29. स्थायीकृत एथाक्सी एथिल मरकरी क्लो-राइड सान पर आधारित सूत्रयोग		,,	2359–1963	35.00
30. फेनिल मरकरी ऐसीटेट सूत्रयोग		,,	2357–1963	35.00
31. फेनिल मरकरी सैलिसि-लेट सूत्रयोग		,,	2356–1963	35.00
32. पाइरेथम (अर्क) सूत्रयोग में		,,	1051–1957	30.00
33. बी० एच० सी०	डब्ल्यू डी पी सान्द्र	,,	562–1962	100.00
34. डी० डी० टी०	,, ,, ,, ,,	,,	565–1961	50.00
35. डील्ड्रिन	,, ,, ,, ,,	,,	1053–1962	60.00
36. काबर आक्सीक्लोराइड	,, ,, ,, ,,	,,	1507–1966	50.00
37. क्यूप्रस आक्साइड	,, ,, ,, ,,	,,	1665–1960	50.00
38. बी० एच० सी०	इ० सी० ,, ,,	,,	632–1966	125.00
39. डी० डी० टी०	,, ,,	,,	633–1956	85.00
40. आल्ड्रिन	,, ,,	,,	1307–1958	85.00
41. डील्ड्रिन	,, ,,	,,	1054–1962	85.00
42. ऐन्ड्रिन	,, ,,	,,	1310–1958	85.00
43. पैराथायान	,, ,,	,,	2129–1962	100.00
44. मैलाथायान	,, ,,	,,	2567–1963	100.00

IndiaCode

1	2	3	4	
45. मैथिलपैराथायान	इ० सी०	भामा	2865–1964	100.00
46. डाइएजिनान	,, ,,	,,	2861–1964	100.00
47. 2, 4–डी द्रव ऐमीन लवण	,, ,,	,,	1827–1961	75.00
48. 2, 4–डी सौडियम (लवण)	तकनीकी	,,	1488–1969	65.00
49. गन्धक धूलि	,,	,,		25.00
50. गन्धक आर्द्रणीय	,,	,,	3383–1965	35.00
51. थाइरैम	तकनीकी	,,	4320–1967	30.00
52. जिनेब	,,	,,	3898–1966	30.00
53. थायोमेटान	,,	,,		30.00
54. मेटासिस्टाक्स	,,	,,		30.00
55. डाइमेथोएट	,,	,,	3902–1966	30.00
56. फास्फेमिडान	,,	,,	4958–1968	30.00
57. कार्बेरिल	,,	,,		30.00
58. हेप्टाक्लोर	,,	,,		20.00
59. टाक्साफीन	,,	,,	4451–1967	20.00
60. निकोटीन सल्फेट घोल	,,	,,	1055–1957	35.00
61. कैप्टन	तकनीकी	,,		35.00
62. हैप्टाक्लोर	,,	,,		50.00
63. इ० डी०/सी० पी० मिश्रण 3:1 मात्रानुसार	,,	,,	634–1965	100.00

[सं० फा० 22-1/70-पी० पी० एस० (1)]

आर० सी० कपिला, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971

IndiaCode